

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 06/4/22

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.02.2019 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष राज्य सरकार की ओर से फौजदारी प्रकरणों में पैरवी करने हेतु नियुक्त निम्नांकित अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक, जोधपुर की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है:-


क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन क्रमांक
01	श्री अनिल जोशी	आर/89/1989
02	श्री सुधीर टांक	आर/1834/2002

आज्ञा से,

ह
(प्रवीर मटनागर)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई), मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
8. संबंधित अधिवक्तागण।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, जोधपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव